झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

सं.झा.के.बि./वि.का./10/2011/(रा.भा.)/ 🕻 🞾

दिनांक - २ ५ फरवरी, 2015

परिपत्र/ Circular

राजभाषा हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा आवश्यक निदेश जारी किए गए हैं। राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश इस प्रकार हैं।

Various necessary directions have been issued from time to time by the Govt. of India for accelerating the spread and development of Rajbhasha Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union.

Important directions regarding Official Language policy are as follows-

- 1. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए /Letters received in Hindi to be answered in Hindi
- 2. फाइलों पर 75% टिप्पणी हिन्दी में लिखी जाए / 75% Noting in Hindi should be written in Hindi.
- 3. कार्यालय में प्रयुक्त समस्त रबर स्टाम्प, नाम पट्ट, पत्र शीर्ष, साइन बोर्ड आदि द्विभाषी तैयार किए जाएं / All rubber stamps, name plates, letter head, sign boards etc. used for the official purposes to be prepared bilingual.
- 4. रजिस्टर में प्रविष्टियाँ तथा सेवा पंजी में प्रविष्टियाँ द्विभाषी (हिन्दी/अंग्रेजी) की जाएं / Entries in registers and service books should be bilingually (Hindi/English).
- 5. जपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर हिन्दी में किए जाएं / Signature should be in Hindi in Attendance Register.
- 6. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, निविदा, सूचनाएँ और निविदा प्रारूप द्विभाषी रूप में, अंग्रेजी और हिन्दी दानों में जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा / Under section 3(3) of the Official Language Act, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative and Other Reports, Press Communiques, Administrative and other Reports and Official Papers to be laid before a House or Houses of Parliament, Contract, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Forms of Tender should invariably be issued bilingually. For any violation, the officer signing such documents will be held responsible.
- 7. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि द्वारा राजभाषा हिन्दी में शोध पत्र पढ़ा जाए / Scientists etc. should read their research papers in the Official Language Hindi in all the scientific/technical seminars and discussions etc.

- 8. हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन जिनमें विशेषकर कार्यालय के सामान्य कार्यों तथा राजभाषा हिन्दी से संबंधित आलेख प्रकाशित किया जाए /To bring out Hindi magazines in which mainly articles related to the main functions of the office and the Official Language Hindi.
- 9. कम्प्यूटर पर हिन्दी प्रयोग के लिए केवल यूनिकोड एनकोडिंग का प्रयोग किया जाए / Only Unicode encoding may be used for the use of Hindi on computers.

विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। /All teaching and non teaching officers/staff are hereby requested to ensure the compliance of the above directions.

हिन्दी अधिकरी/ Hindi Officer

वितरण/ Distribution-

- 1. सभी विभागाध्यक्ष / केन्द्र समन्वयक /All Heads/Coordinators
- 2. उप कुलसचिव/ Dy. Registrar
- 3. आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी /Internal Audit Officer
- 4. सहायक कुलसचिव I/II / Assistant Registrar I/II
- 5. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / Assistant Librarian
- 6. रिास्टम एनालिस्ट / System Analyst
- 7. सीसीओ / CCO
- 8. सुरक्षा अधिकारी / Security Officer
- 9. सहायक अभियंता / Assistant Engineer
- 10. क्रय अनुभाग / Purchase Section
- 11. लेखा अनुभाग / Account Section
- 12. चिकित्सा केन्द्र / Medical Centre

प्रति सूचना हेतु/ Copy for information -

- 1. कुलपति के निजी सचिव/ PS to VC
- 2. कुलसचिव के निजी सचिव/ PS to Registrar
- 3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव / PS to FO
- 4. संबंधित फाइल/ Concernd file
- 5. गार्ड फाइल / Guard file
- 6. सीमूर्ज वेनसाइट/ cus websto

हिन्दी अधिकरी/ Hind Officer